कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर

क्रमांक : स्था./2018/06 दिनांकः– 29.01.2018

–:विस्तृत विज्ञप्ति :–

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती – 2018

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर द्वारा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम, 1999 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों हेतु नियमानुसार रुपये 12,400/– (fixed) प्रतिमाह पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) की सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। (दो वर्ष का परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर पे लेवल एल–1 में रुपये 17,700/– पर वेतन नियतन (fixation) किया जावेगा)

पद का नाम	रिक्तियों की संख्या				
	सामान्य	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व./ अति.पि.व.	योग
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4 (1)*	0	0	0	4

*कोष्ठक में दर्शित पद महिला हेतु क्षैतिज रूप से आरक्षित है।

नोटः–
1. महिलाओं को आरक्षण नियमानुसार क्षैतिज रुप से देय होगा, परन्तु चयन/नियुक्ति हेतु कोई योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त पद उसी श्रेणी विशेष के योग्य पुरूष अभ्यर्थियों द्वारा भरे जा सकेंगे।
2. निःशक्तजन (विशेष योग्यजन) को आरक्षण नियमानुसार क्षैतिज रूप से देय होगा।
3. चयन/नियुक्ति हेतु कोई योग्य निःशक्त अभ्यर्थी एवं अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि. वर्ग/अति.पि.वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उक्त रिक्त पद नियमानुसार विहित प्रक्रिया एवं रीति से भरे जायेंगे।
4. सामान्य वर्ग के पदो के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में पात्र होना आवश्यक होगा।
5. रिक्तियों की संख्या में किसी भी समय कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, इस हेतु पुनः विज्ञप्ति/संशोधित–पत्र जारी नहीं किया जायेगा।
6. राजस्थान राज्य के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग व अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के रूप में संव्यवहारित किया जाएगा।

1. आयु

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2019 को 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक/महिलाओं/निःशक्तजन, आरक्षित वर्ग व अन्य विहित वर्ग को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

2. **शैक्षणिक योग्यता**

अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से कम से कम पांचवी कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए तथा देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए।

3. **शारीरिक योग्यता**

अभ्यर्थी का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को सक्षम चिकित्सा अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. **चरित्र**

आवेदक को अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र तथा दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो आवेदक के रिश्तेदार न हों एवं 6 माह से अधिक पुराने नहीं हो, भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होंगे।

5. **राष्ट्रीयता**

अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या पूर्वोक्त वर्णित नियम, 1999 के नियम 11 के अनुसार अर्हता प्राप्त हो।

6. **नियुक्ति के लिए निरर्हता**

(अ) कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, यदि उसकी दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् 02 से अधिक सन्तानें हों।

– परन्तु दो से अधिक सन्तानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं माना जायेगा जब तक उक्त सन्तानों की संख्या में जो कि 01.06.2002 को है, में वृद्धि नहीं होती है।

–परन्तु यदि किसी आवेदक के पूर्व प्रसव से एक ही सन्तान है परन्तु बाद वाले एकल प्रसव से एक से अधिक सन्तान पैदा हुई है वहां सन्तानों की कुल संख्या को गिनते समय इस प्रकार पैदा हुई सन्तानों को एक इकाई समझा जाएगा।

–परन्तु पूर्वोक्त सन्तानों की संगणना में ऐसी सन्तान को नहीं गिना जाएगा जो कि पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त व्यक्ति से सम्बन्धित विधियों में वर्णित निःशक्तता से ग्रस्त हो।

– परन्तु आवेदक का ऐसा पुनर्विवाह जो विधि द्वारा वर्जित नहीं है व ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व वह नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हो तो उसे अयोग्य नहीं समझा जाएगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी सन्तान को जन्म हुआ हो।

(ब) कोई भी पुरूष या महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी, जब तक कि सरकार इस बात से समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है, इस नियम के किसी अभ्यर्थी पर लागू होने से छूट न दे दे।

(स) कोई विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी, यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज (सम्बन्धित विधि में यथा परिभाषित) स्वीकार किया हो।

7. विवाहित स्त्री/पुरूष आवेदन पत्र में अपने पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करें तथा जिन अभ्यर्थियों का विवाह दिनांक 22.05.2006 या इसके पश्चात् हुआ है, उन्हें विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र तथा दिनांक 22.05.2006 से पूर्व विवाहित अथवा अविवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

8. प्रत्येक अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है, एवं उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दाण्डिक मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है, व लम्बित होने या दोषसिद्ध किया हुआ होने की स्थिति में उसे सम्पूर्ण विवरण शपथ–पत्र में प्रस्तुत करना होगा।

9. आवेदन–पत्र

अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र सादा कागज पर सुस्पष्ट लेखनी से लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, माता–पिता/पति का नाम, जाति, वर्ग, गृह जिला, स्थाई पता, वर्तमान पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्म–तिथि, ई–मेल एड्रेस, मोबाईल नम्बर (यदि हो तो), आधार नम्बर (यदि हो तो), राष्ट्रीयता का उल्लेख हो तथा वर्तमान नियुक्ति (यदि कोई हो तो) का पद, सेवा की अवधि व पदनाम, नियोजन का पंजीयन क्रमांक व वैधता की अवधि (यदि हो तो) अंकित हो। प्रार्थना–पत्र पर अपना स्वयं का हस्ताक्षरित रंगीन फोटोग्राफ, जो स्वयं सत्यापित हो, चस्पा किया जावे। प्रार्थना–पत्र के अंत में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर व दिनांक अंकित होने चाहिए। यदि अभ्यर्थी वर्तमान में किसी राजकीय सेवा में सेवारत है तो उसे प्रार्थना–पत्र में उल्लेख करना होगा एवं आवेदन–पत्र अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से या विभागाध्यक्ष की लिखित अनापत्ति सहित प्रस्तुत करना होगा।

10. आवेदन शुल्क

सामान्य	अ.पि.वर्ग/अति.पि.वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
100/–रुपये	100/–रुपये	60/–रुपये	60/–रुपये

उक्त आवेदन शुल्क जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर के नाम से जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट देय होगा।

11. आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

आवेदन–पत्र दिनांक 23.02.2018 को सांय 5:00 बजे तक कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर में व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा प्राप्त हो जाने चाहिए। उपरोक्त अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा तथा उन्हें निरस्त कर फाईल कर दिया जावेगा। अपूर्ण आवेदन–पत्र एवं वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के संलग्न न होने की स्थिति में एवं अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा उस

पर कोई विचार नहीं किया जावेगा व इसकी अलग से कोई सूचना आवेदन को संप्रेषित नहीं की जाएगी एवं न ही किसी भी स्थिति में शुल्क लौटाया जाएगा।

12. साक्षात्कार

साक्षात्कार हेतु योग्य पाए गए अभ्यर्थीगण की सूची दिनांक 07.03.2018 को जिला न्यायालय की अधिकृत विभागीय बेवसाईट **http://ecourt.gov.in/jaisalmer** पर अपलोड की जाएगी एवं कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर के सूचना पट्ट पर चस्पा की जाएगी एवं उक्त अभ्यर्थीगण के साक्षात्कार दिनांक 12.03.2018 को प्रातः 09:00 बजे से कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर में लिए जाएंगे। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में व उक्त दिवस को साक्षात्कार पूर्ण नहीं होने की स्थिति में शेष आवेदकों के साक्षात्कार आगामी दिवस को लिए जाएंगे, जिसकी सूचना तत्समय कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जाएगी तथा पृथक् से किसी भी आवेदक को सूचना प्रेषित नहीं की जाएगी। किसी भी आवेदक को साक्षात्कार हेतु यात्रा–भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थीगण ने जिन प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां आवेदन के साथ संलग्न की हैं, उनके मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय साथ लेकर उपस्थित होना होगा। भर्ती नियमों में वांछित पात्रता पूर्ण करने पर ही अभ्यर्थी चयन/नियुक्ति का पात्र होगा। पात्रता के सम्बन्ध में नियोक्ता का निर्णय अन्तिम एवं निश्चयात्मक होगा।

नोटः– साक्षात्कार की उपरोक्त तिथि में परिवर्तन होने की स्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को पृथक् से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। परिवर्तन की सूचना कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर के सूचना पट्ट एवं जिला न्यायालय की अधिकृत विभागीय वेबसाईट **http://ecourt.gov.in/jaisalmer** पर अपलोड कर दी जाएगी।

13. आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तत किये जावें :–

1. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षर व दिनांक युक्त पासपोर्ट साईज का स्वयं द्वारा सत्यापित नवीनतम रंगीन फोटो।
2. आवेदन शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट।
3. शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रतियां।
4. पहचान–पत्र (आधार कार्ड/मतदाता पहचान–पत्र/ड्रायविंग लाईसेन्स/पैन कार्ड/या सक्षम अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी अन्य पहचान दस्तावेज) की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।
5. जन्मतिथि के प्रमाण--पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।
6. आयु सीमा, आरक्षण या अन्य किसी प्रकार का क्लेम करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।
7. जिस शैक्षणिक संस्थान से नियमित विद्यार्थी के रूप में अंतिम शिक्षा ग्रहण की है, उस विद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति।

8. दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त मूल चरित्र प्रमाण–पत्र (जो 6 माह से अधिक पुराने न हों)

9. विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति (जिन अभ्यर्थियों का विवाह दिनांक 22.05.2006 या इसके पश्चात् हुआ है) या इस आशय का शपथ–पत्र।

अथवा

दिनांक 22.05.2006 से पूर्व विवाहित होने अथवा अविवाहित होने का शपथ–पत्र।

10. इस आशय का शपथ पत्र कि अभ्यर्थी के दिनांक 01.06.2002 को या उसके बाद दो से अधिक जीवित संतान नहीं हैं व उसके द्वारा अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार नहीं किया है।

11. अभ्यर्थी के विरूद्ध किसी न्यायालय में दाण्डिक प्रकरण लम्बित होने या पूर्व में दोषसिद्ध किया हुआ होने की स्थिति में उसके सम्पूर्ण विवरण का शपथ पत्र।

12. नियोजन कार्यालय के नवीनीकृत पंजीयन प्रमाण–पत्र की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति (यदि हो तो)।

13. इस आशय का शपथ पत्र कि "मै घोषित व सत्यापित करता/करती हूं कि आवेदन में दी गई समस्त जानकारी सत्य एवं सही है व यदि कोई जानकारी/दस्तावेज असत्य एवं मिथ्या पाई जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मेरा चयन/नियुक्ति किसी भी प्रक्रम पर खारिज की जा सकती है।"

नोटः– अभ्यर्थी से शपथ पत्र के माध्यम से पूर्वोक्त वांछित सभी तथ्य एक ही शपथ पत्र के द्वारा भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

14. **अयोग्यता का आधार**

जो अभ्यर्थी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को साक्षात्कार में उत्तीर्ण कराने का कोई अनुचित प्रयास करेगा, उसे अयोग्य माना जावेगा।

15. साक्षात्कार की तिथि में परिवर्तन किये जाने पर उसकी सूचना कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी, किसी भी अभ्यर्थी को अलग से इसकी सूचना प्रेषित नहीं की जावेगी।

नोट :– भर्ती सम्बन्धित अद्यतन समस्त जानकारी (सम्पूर्ण विज्ञप्ति मय आवेदन, स्वीकृत अस्वीकृत आवेदन पत्रों की सूची, साक्षात्कार तिथि एवं अंतिम चयन सूची) जिला न्यायालय की विभागीय बेबसाईट http://ecourt.gov.in/jaisalmer पर उपलब्ध रहेगी।

पूर्णकालिक सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जैसलमेर

क्रमांकः स्था0/2018/189 to 269 दिनांक : 29.1.18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
3. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
4. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
5. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, समस्त राजस्थान।
6. श्रीमान् जिला कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक जैसलमेर
7. निदेशालय, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
8. श्रीमान् जिला समाज कल्याण अधिकारी जैसलमेर
9. श्रीमान् जिला नियोजन अधिकारी जैसलमेर
10. श्रीमान् जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी जैसलमेर
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर को न्यायक्षेत्र की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. सूचना पट्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर
13. संबंधित पत्रावली।

पूर्णकालिक सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जैसलमेर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदक का नवीनतम रंगीन स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का स्वयं द्वारा सत्यापित फोटो मय दिनांक

1. नाम अभ्यर्थी .....
2. पिता का नाम .....
3. माता का नाम .....
4. पति/पत्नी का नाम .....
5. जन्मतिथि दिनांक ..... माह ..... वर्ष .....
   शब्दों में .....
   (प्रमाणपत्र की सत्य प्रति संलग्न करें)
6. दिनांक 01.01.2019 को आयु ..... वर्ष ..... माह ..... दिन
7. जाति :– अभ्यर्थी जिस वर्ग का सदस्य है, उस पर सही (✓) का निशान करें।
   सामान्य/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./भू.पू.सै./महिला/विधवा/परित्यक्ता
   (प्रमाणपत्र की सत्य प्रति संलग्न करें)
8. वर्तमान पता :– .....
   .....
9. स्थाई पता :– .....
   .....
   (प्रमाण की प्रति संलग्न की जावे)
10. शैक्षणिक योग्यता :– .....
    (प्रमाणपत्र की सत्य प्रति संलग्न करें)
11. वर्तमान में सेवारत है तो :–

    पद :– ..... नियुक्ति दिनांक ..... विभाग.....

    (आवेदन पत्र अपने विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे या विभागाध्यक्ष की लिखित अनापत्ति संलग्न करें)
12. निकटतम पुलिस स्टेशन का नाम :– .....
13. विवाह की दिनांक :– .....
14. जीवित संतानों की संख्या :– .....
15. मोबाइल नंबर–ईमेल (यदि हो तो) :– .....
16. नियोजन कार्यालय का पंजीयन क्रमांक.....वैधता अवधि.....
17. आधार क्रमांक :–.....17. राष्ट्रीयता .....
18. डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर ..... तारीख ..... राशि .....
    अदाकर्ता बैंक .....
19. संलग्न दस्तावेज

1		7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	

दिनांक :–

हस्ताक्षर प्रार्थी मय नाम